

**डिकरी व मुकदमें इब्तदाई**  
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)  
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई  
व इजलास श्री गंगाधर मीना, आर.ए.एस

**मु० उनवान राजेन्द्रसिंह बनाम रामहंस वगै०**

दावा बाबत 53, 188 रा०का० अधिनियम

मुकदमा नंबर 113/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू .....-  
मिनजानिब मुददठ व ..... व हाजरी वादी  
डिकरी दी जाती है कि मिनजानिब मुददालय पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर. 1033, 1067, 1074, 1143, 1278, 1279, 1281, 1282, 1331, 1333, 352, 360, 360/1740, 407, 45, 768, 783, 828 किता 18 रकवा 6.48 हैक्ट. व आराजी ख.न. 1856/335, 336, किता 2 रकवा 10.05 हैक्ट. व 1862/265 रकवा 0.64 वाके ग्राम बरौलीरान तहसील नदबई में स्थित है। वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.09.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 27.09.2024 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुर्राजात प्रस्ताव 27.09.2024 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बेज - मुबलिंग - - - - - खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व  
शरह - - - - - फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व मालयाबी तक - - - - - की अदा करें।

दसब्ब व मुहर अदालत के आज तारीख 25/11/24 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

25/11/24

मुददई	रूपया	मुददालय	दस्तावेज
स्टाम्प अराजी दावा		महनताना वकील	सहायक कलक्टर
स्टाम्प वकालतनामा		खर्चा गवाहान	
स्टाम्प वजह सबूत		फीस कमिश्नर	नदबई जिला नदबई
महनताना वकील		बवत इजराय हुक्मनामा	
खर्चा गवाहान		मुतफरिक	
फीस कमिश्नर			
बावत इजराय हुक्म नामा			
मुतफरिक			
मीजान		मीजान	





# न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 113/2019

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00208

किस्म दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आरटीए

निर्णय दिनांक 25.11.2024.

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
2. नेमीचंद पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
3. हिम्मतसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
4. चन्द्रवती पत्नि राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. रामहंस पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
2. प्रहलाद पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
3. प्रेमसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
4. वीरसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
5. मोहनसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
6. कुमारसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई(भरतपुर)
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
8. उप पंजीयक नदबई
9. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक नदबई
10. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक बरौलीछार
11. शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक नदबई

प्रतिवादीगण

25/11/24

उपस्थित श्री डालचंद शर्मा एड.(वादी की ओर से)

श्री ओमप्रकाश पराशर एड (प्रतिवादीगण की ओर से)

**निर्णय**

दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए

1. यह कि हाल आराजी खसरा नम्बर. 1033, 1067, 1074, 1143, 1278, 1279, 1281, 1282, 1331, 1333, 352, 360, 360/1740, 407, 45, 768, 783, 828 किता 18 रकवा 6.48 हैक्ट. व आराजी ख.न. 1856/335, 336, किता 2 रकवा 10.05 हैक्ट. व 1862/265 रकवा 0.64 वाके ग्राम बरौलीरान तहसील नदबई में स्थित है। उक्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी मनवट अनुसार काबिज काश्त है। आराजी सहखातेदारी काश्तकारी की है।
2. यह कि विवादित आराजी वाके ग्राम बरौलीरान पर वादी एवं प्रतिवादीगण सम्मिलित काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रतिवादी के मन में बदयति आ गई है। आराजी की रहन मुनतकिल करने पर आमादा है। तथा वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा गुमराह करते हुए एक बँटवारानामा कर दिया है। और वादीगण कि कई बार फसल को नष्ट कर दिया है।
3. यह कि विवादित आराजी पर पूर्व की भाति काश्त करना संभव नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वादी विवादित आराजी वादी एवं प्रति के मध्य अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी आराजी के कुरेजात कायम कर पृथक-पृथक लगान कायम काराने के अधिकारी है।
4. अन्त में प्रार्थना है कि मद सं. 2 व 3 की आराजी के कुरेजात कायम कर अलग-अलग खाता लगान कायम किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी के हिस्से में मदाखलत मजामहत नहीं करें, रहनवयमुन्तकिल नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से श्री ओमप्रकाश पराशरएडवोकेट उपस्थित हुए तथा शेषप्रतिगणो के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावी किया गया।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस बाद प्रारम्भिक डिक्री किये जाने बाबत सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वाद वादी प्रारंभिक डिक्री दिनांक 24.07.2024 को किया जाकर वादपत्र मे दर्ज विवादिन आराजीयात की बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुरेजात मंगवाए जाने

  
25/11/24

हेतु तहसीलदार नदबई को आदेशित किया गया तथा तहसीलदार नदबई को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तथा राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाए जाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए। तहसीलदार नदबई द्वारा न्यायालय के आदेश क्रमांक 889 दिनांक 02.08.2024 की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर एवं राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 27.09.2024 जरिए पत्रांक एलआर/24/5241 दिनांक 09.10.2024 से भिजवाए गए। एवं कुरेजात प्रस्ताव पर बहस हेतु पत्रावली नियत की गई।

उक्त तहसीलदार नदबई द्वारा कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 27.09.2024 जो कि पत्रांक एलआर/24/5241 दिनांक 09.10.2024 से भिजवाए गए पर आपत्ति प्रार्थना पत्र वादी राजेन्द्रसिंह की ओर से पेश कि गई। वास्ते बहस कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 08.11.2024 नियत की गई।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्तागणों की बहस आपत्ति कुरा रिपोर्ट सुनी गई। वकील वादी द्वारा बहस दौरान निवेदन किया कि कुरारिपोर्ट में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना ना करते हुये कुरा रिपोर्ट बनाई गयी है। आराजी ख.न. 352 व 360 में अच्छी उपजाऊ एवं मीठेपानी कि कृषि भूमि में वादीगण को हिस्सा नही दिया गया है। कुरारिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा गांक के पूर्व सरपंच द्वारा कहे अनुसार बनाई गयी। कुराजात रिपोर्ट मौका के अनुरूप पेश नही कि गई। उक्त कुरा रिपोर्ट जो तैयार की गई है कुरा रिपोर्ट मौके के विपरीत बनाई गई है। इस प्रकार उक्त कुरा रिपोर्ट मौके एवं दिशा के विपरीत है अतः कुरा रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावे।

वकील वादी/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दौरान बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम बरौलीरान पर स्थित है, कुरा रिपोर्ट मौका व काश्त अनुसार मौके पर जाकर तैयार कि गई है तथा कुरा रिपोर्ट राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 कि पालना करते हुये बनाई गई है। अत आपत्ति कुरा एतराज खारिज किया जाकर दावा मुताबिक कुरा रिपोर्ट दिनांक 27.09.24 अनुसार डिक्री किया जावें।

हमने उभयपक्षकारान की विद्वान अधिवक्तागणों की बहस आपत्ति कुरा रिपोर्ट सुनी गई, बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध कुरेजात प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तो पाया कि तहसीलदार नदबई द्वारा जो कुरेजात प्रस्ताव दिनांक कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 27.09.024 जो कि पत्रांक एलआर/24/5241 दिनांक 09.10.2024 से भिजवाई गई का अवलोकन किया तो पाया कि कुरेजात प्रस्ताव मौके पर जाकर पक्षकारान को तलब कर पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तथा कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुए मौके के अनुसार तैयार कर भिजवाई

25/11/24

गई है। अतः प्रतिवादी की आपत्ति कुरेजात प्रस्ताव खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः आपत्ति कुरेजात प्रस्ताव खारिज किया जाकर मुताबिक कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 27.09.2024 के अनुसार ही डिक्री किया जाना उचित है।

—:आदेश:—

अतः आदेश है कि वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर. 1033, 1067, 1074, 1143, 1278, 1279, 1281, 1282, 1331, 1333, 352, 360, 360/1740, 407, 45, 768, 783, 828 किता 18 रकवा 6.48 हैक्ट. व आराजी ख.न. 1856/335, 336, किता 2 रकवा 10.05 हैक्ट. व 1862/265 रकवा 0.64 वाके ग्राम बरौलीरान तहसील नदबई में स्थित है। वादी व प्रतिवादी को कुराजात प्रस्ताव दिनांक 27.09.2024 के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। कुराजात प्रस्ताव दिनांक 27.09.2024 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुराजात प्रस्ताव 27.09.2024 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काशत /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 25.11.24 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फाइल नुमां होकर दाखिल दफतर हो।



25/11/24  
(गंगाधर मोना R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर  
नदबई  
दिल दफतर